Pl. upload on website
IA (Manisha)
10.02.2020

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/20/ 884 दिनांक : 10.02.2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 8545 दिनांक 02.07.2019 की निरन्तरता में विभाग के ध्यान में आया है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी स्थानान्तरण/पदस्थापन आदशों की राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) एवं (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के प्रशासनिक व तकनीकी अधिकारी/कार्मिकों द्वारा अभी तक पालना नहीं की गई है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) एवं (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के प्रशासनिक व तकनीकी अधिकारी/कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किये जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर पालना से विभाग को अवगत करावे।

यदि किसी न्यायिक प्रकरण के कारण राजकीय आदेशों की पालना संभव नहीं हो पा रही हो, तो वस्तुस्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट के साथ विभाग को अवगत कराया जावे। इसके बावजूद कतिपय प्रकरणों में स्वेच्छा से विभागीय आदेंशों की अवहेलना किया जाना पाया गया है।

अतः पालिका के सक्षम प्रशासनिक अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन जिन कार्मिकों का विभाग द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है, उन्हें तत्काल कार्यमुवत कर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित कर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाना व विलम्ब का कारण स्पष्ट करना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना करने के लिए नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/20/885-2290 दिनांक : 10.02.2020

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक (प्रशासन), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिकायें, राजस्थान।
8. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकायें, राजस्थान।
9. समस्त अधिकारीगण/अभियन्तागण, नगर निगम/परिषद्/पालिकायें, राजस्थान।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त निदेशक

Scanned by CamScanner